P-1 R.M.M. Law College – Saharsa.
Manvendra Mandal | Subject – Contract-1
Part time Lecturer

उत्पीड़न या प्रपीड़न की परिभाषा – (धारा-15)

'उत्पीड़न या प्रपीड़न' को हम दैनिक बोलचाल की भाषा में 'जबरदस्ती अथवा बलपूर्वक' कहते हैं। जब किसी व्यक्ति से कोई कार्य, जिसे करने की उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती करने के लिए कहा जाता है, तब ऐसा कार्य उस व्यक्ति की 'स्वतंत्र सम्मति' से किया गया नहीं कहा जाता है। इस धारा में दी गई परिभाषा के अनुसार –

(i) भारतीय दण्ड संहिता द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करना, या
(ii) ऐसा कार्य करने की धमकी देना या
(iii) किसी सम्पत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या
(iv) ऐसे निरोध करने की धमकी देना प्रपीड़न है।

'Coercion' – is the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawfull detaining or threatening to detain, any property to the prejudice of any person whatever with the intension of causing any person to enter in to an agreement.

'असम्यक असर' की परिभाषा (धारा 16)

संविदा "असम्यक असर" द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहाँ कि पक्षकारों के बीच विद्यमान सम्बन्ध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और इस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ अभिप्राप्त करने के लिए करता है। वहाँ संविदा के बारे में कहा जाता है कि वह असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित की गई है।

"Undue Influence" – A Contract is said to be induced by 'undue influence' where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other.

Scanned with CamScanner

P-2 उत्पीड़न एवं असम्यक असर में अन्तर

उत्पीड़न	असम्यक असर
(1) उत्पीड़न में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से भारतीय दण्ड संहिता द्वारा वर्जित कोई कार्य करके धमकी देकर कोई करार कराया जाता है अथवा उसकी सम्मति को प्रभावित रूप से रोका जाता है।	(1) असम्यक असर में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर अपनी अधिशासित करने की स्थिति का अनुचित प्रयोग किया जाता है।
(2) इसमें एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होना आवश्यक नहीं है।	(2) लेकिन इसमें ऐसा आवश्यक है।
(3) उत्पीड़न का प्रयोग संविदा के पक्षकार अथवा किसी पर-व्यक्ति के साथ भी किया जा सकता है।	(3) लेकिन असम्यक असर का प्रयोग केवल संविदा के पक्षकार के साथ ही किया जा सकता है।
(4) उत्पीड़न में शारीरिक दबाव डाला जाता है अथवा सम्मति को रोका जाता है।	(4) जबकि इसमें मानसिक दबाव डाला जाता है।
(5) यह हिंसक प्रवृत्ति का कार्य है।	(5) जबकि इसमें सम्मोहन, चालाकी एवं बनावटीपन निहित रहता है।
(6) उत्पीड़न के सबूत का भार पीड़ित पक्षकार पर होता है।	(6) इसमें सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो अधिशासित करने की स्थिति में है।

Scanned with CamScanner